

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता एवं बैंक पुनर्पूजीकरण

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधिनियमन और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण की योजना का बैंकिंग क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र को अपेक्षाकृत सुदृढ़ और अधिक समुत्थानशील बनाने में दोनों का समुचित योगदान रहेगा।

I. परिचय

IV.1 सुदृढ़ और समुत्थानशील बैंकिंग क्षेत्र का आलम्ब समग्र शोधन अक्षमता व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था पूर्वानुमेयता को बढ़ाने और ऋणग्रस्तता के कुशल समाधान के माध्यम से देनदार और लेनदार के अधिकारों का संरक्षण करते हुए –दोनों के बीच मजबूत संबंध का समर्थन करता है। भारत के संदर्भ में, मई 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का अधिनियमन आमूल परिवर्तनकारी सुधार रहा है।

IV.2 बैंक पुनर्पूजीकरण सहबद्ध और तार्किक रूप से सहवर्ती सुधार है। बासेल III के पूर्ण कार्यान्वयन की ओर बढ़ने एवं वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की ऋण मांगों को पूरा करने की आवश्यकता ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी स्थिति की मजबूती को प्राथमिकता प्रदान कर दी है।

IV.3 इस पृष्ठभूमि के साथ, खंड II में विभिन्न देशों से प्राप्त अनुभवों के साथ ही आईबीसी 2016 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। खंड III में, विभिन्न देशों के साथ तुलना और 1990 के दशक में हुए पुनर्पूजीकरण के संदर्भ में भारत के अपने ऐतिहासिक अनुभवों के परिवेश में भाग III सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण पर चर्चा की गई है। समापक टिप्पणियां खंड IV में प्रस्तुत की गई हैं।

II. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

IV.4 भारत में बैंकों ने देनदारी में चूक का निवारण करने के लिए मौजूदा विधिक और संस्थागत मशीनरी - भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 अथवा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति बकाया कर्जों की वसूली अधिनियम 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित

का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 जैसे विशेष कानूनों का भली प्रकार प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार से, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 1985 और कंपनी अधिनियम, 1956 के समापन प्रावधानों से भी न तो लेनदारों द्वारा शीघ्रता से वसूली करने में और न ही कर्जदार कंपनियों की सुगमता से पुनर्चना करने में मदद मिली है।

IV.5 इस व्यवस्था के अंतर्गत, मई 2016 में अधिनियमित और गजट में अधिसूचित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 एक महत्वपूर्ण घटना रही है। यह एकमात्र ऐसा कानून बन गया है जो पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को संशोधित और समेकित करते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों में प्रयोग में लाया जाता है। आईबीसी के दायरे में व्यक्ति, कंपनियां, सीमित दायित्व भागीदारी, भागीदारी फर्म और अन्य विधिक प्रतिष्ठान (वित्तीय सेवा प्रदाताओं को छोड़कर) आदि शामिल हैं जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है। इस संहिता का उद्देश्य कारोबारों बंद करने की सुविधा प्रदान करना या उसकी कायापलट करना अथवा उनसे निकास की व्यवस्था तैयार करना है। आईबीसी का उद्देश्य समय-बद्ध रूप (180 दिनों में, कुछ परिस्थितियों में जिसे और 90 दिनों के लिए विस्तारित किया जा सकता है) से दिवाला समाधान प्रस्तुत करना है, जो दिवाला वृत्तिकों के माध्यम से किया जाएगा।

आईबीसी 2016 की प्रमुख विशेषताएं

IV.6 आईबीसी, 2016 के तहत संस्थागत अवसंरचना चार स्तंभों, नामतः - दिवाला वृत्तिक; इन्फर्मेंशन यूटिलिटी (सूचना उपयोगिताएं); न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (राष्ट्रीय कंपनी कानून अभिकरण (एनसीएलटी) तथा कर्ज वसूली अभिकरण

(डीआरटी)); और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) पर टिकी हुई है। संहिता के प्रावधानों के तहत दिवाला समाधान पहली चूक होने पर ही प्रारंभ किया जा सकता है और दिवाला समाधान प्रक्रिया को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा करना अपेक्षित है।

IV.7 संस्थागत अवसंरचना का पहला स्तंभ विनियमित व्यक्तियों - 'दिवाला वृत्तिकों' का वर्ग है। वे दिवाला समाधान को पूर्ण करने, परिसमापन और ऋण-शोधन अक्षमता संबंधी कार्रवाइयों को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। वे 'दिवाला वृत्तिक एजेंसियों' द्वारा अभिशासित होंगे जो विनियामकों के प्रथम स्तर के रूप में वृत्तिक मानकों, नीति संहिता को विकसित करेंगे।

IV.8 संस्थागत अवसंरचना का दूसरा स्तंभ 'इन्फर्मेशन यूटिलिटी' हैं, जो वित्तीय सूचना का संग्रहण, मिलान, प्रमाणन और संग्रहित, क्रमानुसार मिलान, प्रमाणन करेंगे और उनका प्रचार करेंगे। वे लेनदारों और ऋण की शर्तों के संबंध में आंकड़ों का एक इलेक्ट्रॉनिक आधार तैयार करेंगे और इस प्रकार से वास्तव में किसी प्रकार की चूक होने की स्थिति में होने वाले विलंब और विवादों को समाप्त करेंगे।

IV.9 संस्थागत अवसंरचना का तीसरा स्तंभ न्यायनिर्णयन है। एनसीएलटी वह मंच है जहां कॉर्पोरेट व्यक्तियों के दिवाला संबंधी मामलों की सुनवाई होगी, जबकि डीआरटी वे मंच हैं जहां पर व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों से संबंधित दिवाला कार्रवाई पूरी होगी। ये संस्थान और उनके अपीलीय निकायों, जो क्रमशः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) और कर्ज वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) हैं, का उद्देश्य शोधन अक्षमता की प्रक्रिया का निर्बाध क्रियान्वयन होगा।

IV.10 चौथा विनियामक स्तंभ 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड' है। यह निकाय दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक एजेंसियों और इन्फर्मेशन यूटिलिटी की विनियामकीय निगरानी करता है।

IV.11 संहिता में व्यक्तियों के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, नामतः - 'फ्रेश स्टार्ट (नवीन शुरुआत)' और 'दिवाला समाधान'। इस संहिता में, इन प्रक्रियाओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। संहिता के अंतर्गत, दिवाला समाधान, परिसमापन

और व्यक्तियों की ऋण-शोधन अक्षमता के लिए एक निधि (भारतीय दिवाला और ऋण-शोधन अक्षमता निधि) स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। कॉर्पोरेट देनदार द्वारा वित्तीय दबाव के पूर्व संकेत प्रदर्शित करने पर दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु चूक आधारित एक जांच तीव्रता से हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान करती है।

IV.12 आस्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के वितरण के संबंध में पहली प्राथमिकता दिवाला समाधान और परिसमापन की लागत को प्रदान की गई है, उसके बाद पूर्ववर्ती 24 महीनों के कामगारों के बकाया सहित जमानती कर्ज को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के ऋणों को प्राथमिकता में निचले पायदान पर रखा गया है। यह संहिता 'देनदार के कब्जे' की मौजूदा व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन करते हुए 'लेनदार के नियंत्रण' की व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव करती है। जमानती लेनदारों को दी गई प्राथमिकता बैंक जैसी संस्थाओं के लिए लाभदायक है।

IV.13 जब कोई फर्म अपनी देनदारी से चूकती है तो इसका नियंत्रण अंशधारकों/ प्रवर्तकों से उधारदाताओं की समिति के पास चला जाता है ताकि कंपनी को पुनः व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न भागीदारों से प्राप्त प्रस्तावों का अथवा परिसमापन का मूल्यांकन किया जा सके। ऋण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में की गई व्यवस्था से यह एकदम विपरीत स्थिति है जिसके तहत होने वाला विलंब फर्म के मूल्य हास के रूप में परिणत हुआ।

IV.14 आनुभविक साक्ष्य दर्शाते हैं कि ऋण की विशिष्टताओं के अतिरिक्त सुचारु संस्थागत वातावरण और समुचित दिवाला व्यवस्थाएं दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली करने के मुख्य कारक होते हैं (बॉक्स IV.1)।

IV.15 दिवाला समाधान प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 23 नवंबर 2017 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 लागू किया है। यह अध्यादेश ऐसे निश्चित व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से निषिद्ध करने का प्रावधान करता है और यह लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन देने के पूर्व समाधान योजना को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए कुछ अतिरिक्त अपेक्षाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है।



बॉक्स IV.1: अनर्जक आस्तियों की वसूली – विभिन्न कारकों की भूमिका

वर्ष 2015-17 के दौरान, भारतीय बैंकों का औसत वसूली अनुपात¹ 26.4 था, जिसके तहत निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) द्वारा की गई वसूली (41 प्रतिशत) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा की गई वसूली (25.1 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक रही। इस अवधि के दौरान, मौजूदा विभिन्न विधिक वसूली माध्यमों, यथा - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002, डीआरटी तथा लोक अदालतों के माध्यम से वसूली गई औसत राशि कुल संबद्ध राशि का मात्र 10.8 प्रतिशत ही था (चार्ट 1 एवं 2)।

दबावपूर्ण आस्तियों की वसूली के निर्धारक के रूप में विभिन्न व्यष्टिगत (ऋण विशेष से संबंधित) और समष्टिगत (अर्थव्यवस्था विशेष से संबंधित) कारकों को चिह्नित किया गया है, जो इस प्रकार हैं – संपार्श्विकों का कोटा अपेक्षाकृत अधिक होना; कंपनी का आकार (युनैट एवं वेबर, 2009); कारोबारी चक्र की अवस्था (फ्राये 2000); एवं जीडीपी में हुई वृद्धि एवं ऋण पर्यवेक्षण (डेर्मिन एवं नेटो डे कारवल्लो, 2006; बेल्लो एवं अन्य)। भारत के मामले में, अशोध्य ऋणों की वसूली का संबंध जमानती ऋणों, मीयादी ऋणों एवं स्थावर संपदा में बैंक के एक्सपोजर से सकारात्मक ढंग से जुड़ा नहीं पाया गया (मिश्र एवं अन्य, 2016)।

वर्ष 2001-2017 की अवधि के लिए 71 बैंकों के समुच्चय के लिए यादृच्छिक प्रभाव मॉडल का प्रयोग करते हुए बैंक स्तर² पर वसूली (एनपीए में कमी के रूप में मापी गई) से संबंधित पैनाल डाटा समाश्रयण (रिग्रेशन) से पता चलता है कि – जमानती और मीयादी ऋणों का अनुपात अधिक है, शोधन अक्षमता से संबंधित व्यवस्था में सुधार हुआ है, कॉर्पोरेटों द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों जैसे वैकल्पिक निधि स्रोतों की उपलब्धता और मौद्रिक नीतिगत रुख को सहज बनाए जाने से दबावपूर्ण आस्तियों की वसूली में सुधार होता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में मीयादी ऋणों या जमानती ऋणों जैसे कारक महत्वपूर्ण हो गए हैं, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ऋणपत्र जैसे वैकल्पिक स्रोतों से निधि उगाही अहम हो गई है। इसके अलावा, ऋण को बड़े खातों में डाला जाना, शोधन अक्षमता का माहौल तथा समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों को दोनों तरह के बैंक समूहों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण पाया गया।

चार्ट 1 : जीएनपीए की वसूली*



परिसमापन की कार्यवाहियों में, आईबीसी 2016 प्रतिभूतिकृत लेनदारों को निम्नलिखित में से चयन का विकल्प उपलब्ध कराता है – (i) उनकी प्रतिभूतियों के हितों को प्रवर्तित करने/भुनाने/निपटान करने/समझौता करने/कार्रवाई करने और प्राप्त राशि का प्रयोग बकाया कर्ज वसूल करना, या (ii) इन आस्तियों पर अधिकारों को परिसमापन न्यास पर छोड़ने और परिसमापनकर्ता द्वारा आस्तिकी बिक्री से प्राप्त राशि प्राप्त करना। इसके तहत उन आकस्मिकताओं का भी प्रावधान है जहां पर जमानती लेनदार को ऋणग्रस्त आस्तियों से प्राप्त होने वाली राशि पूरे कर्ज की वसूली हो सके। इस तरह के लेनदार परिसमापन वाटरफाल में स्थान पाते हैं, जो गैर-जमानत प्राप्त लेनदारों तथा अन्य लेनदारों से कनिष्ठ हों, और समग्र परिसमापन से प्राप्त होने वाली राशि के माध्यम से अतिरिक्त रकम वापस पा सकते हैं। प्रक्रिया की समयबद्ध एवं लेनदार-अनुकूल प्रकृति के कारण आगे चलकर बैंकों द्वारा वसूली और बढ़ने की संभावना है।

संदर्भ :

बेल्लो, एम.ओ., ए.ओ. अडेवुसी, टी.बी. ओयेडोकुल, टी.ए. अशाओलु एवं एन.बी. इजेकोलि (2013), "नाइजीरियाई ऋण उद्योग में चूक-पूर्ण रेहनों के वसूली निर्धारकों का विश्लेषण", यूरोपियन जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, खंड 5, सं. 2, पृ.सं. 50-61.

डेरमिन, जे. एवं सी. नेटो डे कारवल्लो (2006), "बैंक ऋण चूक के मद्देनजर होने वाली हानि : मामले का अध्ययन", जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, सं.30, पृ.सं. 1219-43.

फ्राये जे. (2000), "दबाव उत्पन्न करने वाली वसूलियां" नीतिगत अध्ययन, फैंडरल रिजर्व बैंक ऑफ शिकागो, अक्तूबर।

युनैट, जेन्स एवं मार्टिन वेबर (2009), "वाणिज्यिक उधारियों की वसूली दर : जर्मनी की कंपनियों के अनुभवजन्य साक्ष्य", - जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, सं.33, पृ.सं. 505-13.

रेखा मिश्रा, राजमल एवं राधेश्याम वर्मा (2016), "भारत में दबावपूर्ण आस्तियों की वसूली के निर्धारक कारक : प्रयोगाश्रित अध्ययन", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 51, अंक सं. 43, 22 अक्तूबर।

¹ वर्ष के प्रारंभ में बकाया जीएनपीए की तुलना में वर्ष के दौरान रहे जीएपीए में कमी।

² एनपीए में कमी_{इंटी} = -0.387 + 0.696 मीयादी ऋण_{इंटी} - 0.103 गैर-जमानती_{इंटी} + 0.024 शोधन अक्षमता_{इंटी} + 0.037 डीबेंचर_{इंटी} - 0.013 मांग दर_{इंटी} + ε_{इंटी}
 (0.16) (0.049)*** (0.048)** (0.006)*** (0.041) (0.009)

आर² (overall) = 0.72. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े मानक माध्य हैं. ***: पी<0.01; **: पी<0.05.

शोधन-अक्षमता संबंधी प्रथाएं : विभिन्न देशों के बीच तुलना³

IV.16 विभिन्न देशों के बीच शोधन अक्षमता व्यवस्था में भिन्नता होती है, जो फ्रांस जैसी देनदार-अनुकूल हो सकती है और यूके, स्वीडन एवं जर्मनी की लेनदार-अनुकूल भी हो सकती है। सामान्यतः पुनर्विन्यास को देनदारों के पक्ष में माना जाता है, वहीं परिसमापन प्राथमिक रूप से लेनदारों को संरक्षण प्रदान करता है। अमेरिका की शोधन अक्षमता एवं कर्ज समाधान व्यवस्था को संकरित व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें परिसमापन (अध्याय 7) एवं पुनर्रचना करने (अध्याय 11) –दोनों के लिए सुपरिभाषित कानून और प्रक्रियाएं शामिल हों। कुछ उन्नत और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्विन्यास तथा शोधन अक्षमता संकल्प से भारतीय पहल के मूल्यांकन की रोचक पृष्ठभूमि उपलब्ध हो जाती है।

IV.17 **पूर्वनिर्धारित बचाव** : अमेरिका, यूके एवं ब्राजील में पूर्वनिर्धारित बचाव की अनुमति है, जिसमें देनदार कंपनी और उसके लेनदार औपचारिक शोधन अक्षमता की कार्यवाहियां प्रारंभ करने के पहले कंपनी के कारोबार की बिक्री का समझौता करते हैं। वास्तविक बिक्री शोधन अक्षमता की कार्यवाही प्रारंभ होने पर होती है। भारत में अदालत या एनसीएलटी के हस्तक्षेप के बगैर इस तरह के पूर्वनिर्धारित बचाव की अनुमति नहीं है।

IV.18 **शोधन अक्षमता की शुरुआत** : अमेरिका में, शोधन अक्षमता संहिता के अध्याय 11 के तहत बचाव प्रक्रिया से गुजरने के लिए किसी कंपनी को शोधन अक्षमता के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यूके में, यदि कोई लेनदार शोधन अक्षमता कार्यवाही प्रारंभ करना चाहता है, तो उसे बकाया की अविवादित राशि के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं और देनदार पर सांविधिक मांग दायर करनी पड़ती है। भारत में, ₹0.1 मिलियन और अधिक की चूक होने पर कोई वित्तीय लेनदारों, परिचालनात्मक लेनदारों

या कॉर्पोरेट देनदार स्वयं ही कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनान, ब्राजील एवं रूस जैसे कुछ देशों में लेनदार केवल परिसमापन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका एवं चीन में लेनदार पुनर्रचना के साथ-साथ परिसमापन -दोनों के लिए फाइल अनुरोध कर सकते हैं।

IV.19 **कंपनी प्रबंधन** : अमेरिका में कब्जेदार देनदार वाली व्यवस्था लागू है जिसमें कंपनी का प्रबंधकीय नियंत्रण देनदार के पास होता है और उसके पास आरंभिक 120 दिनों में कंपनी के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी करने का विशेषाधिकार भी होता है। यूके में कंपनी का प्रबंधन प्रशासक द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है। बचाव प्रक्रिया में प्रशासक की केंद्रीय भूमिका होती है और वह कंपनी संबंधी मामलों, उसके कारोबार और संपत्ति से जुड़ा कोई भी निर्णय, जो आवश्यक और अपरिहार्य हो, लेने का अधिकार रखता है। भारत में कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक मंडल की ये शक्तियाँ निलंबित कर दी गयी हैं और अब न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (अर्थात् एनसीएलटी) द्वारा एक अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की जाती है। उस तारीख से कॉर्पोरेट कर्जदार से जुड़े मामलों के प्रबंधन का दायित्व अंतरिम समाधान वृत्तिक का ही होता है। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति किए जाने से 30 दिनों के भीतर लेनदारों की समिति उसका अनुमोदन करेगी और इसके बाद, लेनदारों की इस समिति द्वारा मूल्यानुसार कम से कम 75 प्रतिशत के बहुमत से अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति अथवा उसके स्थान पर समाधान वृत्तिक की नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है।

IV.20 **पुनर्वास योजना** : अमेरिका में, दुर्बल लेनदारों की प्रत्येक श्रेणी को समाधान योजना पर मात्रात्मक रूप से उस समूह के दो तिहाई वोटों से और अनुमत दावों के आधे वोटों से अपनी सहमति जताना आवश्यक होता है। यूएस की दिवाला संहिता में असहमत

³ इस उप-खंड को तैयार करने के लिए सामग्री निम्नलिखित से ली गई है –

- एडालेट मैकगोवान, एम एवं डी एंड्रयूज (2016), " शोधन अक्षमता व्यवस्था एवं उत्पादकता वृद्धि : विश्लेषण हेतु ढांचा ", *ओईसीडी आर्थिक विभाग का वर्किंग पेपर सं.* 1309.
- बोल्टॉन, पैट्रिक (2003), " सरकारी कर्ज पुनर्रचना के वैधानिक उपागम की ओर : विश्व-भर में कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता प्रथाओं से सीख ", *आईएमएफ स्टाफ पेप*, डब्ल्यूपी/03/13.
- सिमिजि, एलेना, लेओरा क्लेप्पर एवं महेश उत्तमचंदानी (2010), "शोधन अक्षमता की चुनौतियां ", *विश्व बैंक के नीतिगत अनुसंधान पत्र 5448*, अक्तूबर।
- भारत सरकार (2015), " शोधन अक्षमता कानून संशोधन समिति की अंतरिम रिपोर्ट ", वित्त मंत्रालय।

लेनदारों की इच्छा के विरुद्ध जाने, 'क्रैम डाउन' का प्रावधान भी किया गया है। यूके में वर्तमान और मतदान में शामिल लेनदारों के मूल्यानुसार सामान्य बहुमत से ही प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। जर्मनी में योजना के अनुमोदन के लिए सभी श्रेणियों के लेनदारों की सहमति लेना आवश्यक होता है। फ्रांस में, लेनदारों की दो समितियों के साथ-साथ बॉन्ड धारकों की भी एक समिति गठित की जाती है। लेनदारों की समितियों में से एक में तो ऐसे सभी वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं जिनकी लेनदारी उक्त देनदार से बनती है और लेनदारों की दूसरी समिति में उक्त देनदार के सभी प्रमुख आपूर्तिकर्ता होते हैं। प्रत्येक समिति की सहमति प्राप्त करनी होती है और इसके लिए मतदान में भाग लेने वाले लेनदारों का मूल्यानुसार दो तिहाई बहुमत आवश्यक होता है। भारत में, उक्त कॉर्पोरेट कर्जदार के विरुद्ध प्राप्त सभी दावों के मूल्यांकन के बाद समाधान वृत्तिक द्वारा लेनदारों की एक समिति गठित की जाती है जिसमें वित्तीय लेनदार (उन्हें छोड़कर जो किसी भी प्रकार से उक्त लेनदारों से संबद्ध पार्टियां होती हैं) शामिल होते हैं। समाधान वृत्तिक द्वारा लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे- आस्तियों की बिक्री, अंतरिम पूंजी जुटाना, प्रतिभूति हित सृजित करना- लेनदारों की समिति के अनुमोदन से ही लिए जा सकते हैं। लेनदारों की उक्त समिति अपने सभी निर्णय वित्तीय लेनदारों के मूल्यानुसार कम से कम 75 प्रतिशत के बहुमत से ही ले सकती है।

IV.21 अधिस्थगन : अमेरिका के शोधन अक्षमता कानून में यह व्यवस्था की गयी है कि कंपनी और उसकी संपत्ति के विरुद्ध चैप्टर 11 याचिका के बाद दावों के प्रवर्तन के साथ ही अधिस्थगन की प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार, यूके में भी प्रशासक की नियुक्ति हेतु आवेदन की तारीख और नियुक्ति की वास्तविक तारीख के बीच की अवधि में एक अंतरिम अधिस्थगन का प्रावधान है। इन अधिस्थगनों का उद्देश्य - अपने-अपने दावों के लिए लेनदारों में होने वाली आपा-धापी को रोकना होता है, ताकि कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया में हड़बड़ी न हो। भारत में, आईबीसी में लेनदारों द्वारा कर्ज वसूली की दिशा में की गयी किसी भी कार्रवाई पर 180 दिनों का अधिस्थगन स्वतः लागू हो जाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी अवधि विशेष मामलों में 90 दिन बढ़ाई जा सकती है। सिंगापुर और ब्राजील में अधिस्थगन तब तक लागू रहता है जब तक कि संपूर्ण समाधान योजना को अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता।

IV.22 बचाव वित्तपोषण और उच्चतम प्राथमिकता की मंजूरी प्रदान करना : अधिकांश क्षेत्राधिकारों में बचाव वित्तपोषण के लिए उच्चतम प्राथमिकता या तो विशेष विधायी प्रावधान लाकर या न्यायिक निर्वचन से तय की जा सकती है। आर्थिक रूप से महत्व के कारोबारों में रुकावट प्राथमिक रूप से कर्ज प्रलंबन के कारण है। इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिका की शोधन अक्षमता संहिता में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उन लेनदारों को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाए जिन्होंने कंपनी को बुरे वक्त में वित्त उपलब्ध कराया हो। यूके में उच्चतम प्राथमिकता वाले निधीयन की व्यवस्था नहीं की गई है। भारत के आईबीसी में भी उच्चतम प्राथमिकता वाले निधीयन का प्रावधान नहीं है।

IV.23 प्राथमिकता नियमावली : भारत की आईबीसी में अमेरिका, फिनलैंड और चिली की ही भांति कंपनी की आस्तियों के परिसमापन के समय पहला दावा दिवाला प्रक्रिया में आने वाली लागत का ही बनता है। हालांकि, यूके, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे देशों में जमानती लेनदार अपना दावा सर्वप्रथम कर सकते हैं। भारत में दिवाला प्रक्रिया से जुड़ी लागत चुकाने के बाद ही ऐसा संभव है। आस्ट्रेलिया, नार्वे, यूनान, मेक्सिको और कोलंबिया में कर्मचारियों के वेतन को प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाता है। भारत के आईबीसी में, परिसमापन के समय भुगतानों के वाटरफाल के अंतर्गत जमानती लेनदारों और उनके बाद गैर-जमानती लेनदारों के साथ एक ही वक्त में की जाने वाली कामगारों की क्षतिपूर्ति दिवाला कार्यवाहियों से संबद्ध लागत के बाद प्रकट होती है।

आईबीसी के अंतर्गत अब तक की प्रगति

IV.24 कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत लेनदेन का विश्लेषण दर्शाता है कि आईबीसी के पास स्वीकार किए गए मामलों ने समय के साथ गति पकड़ी (सारणी IV.1)।

IV.25 एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि कॉर्पोरेट दिवालियापन की कार्यवाही की शुरुआत करने में परिचालन लेनदार सबसे ज्यादा आक्रामक रहे हैं, यद्यपि समाधान के लिए बोर्ड तक पहुँचने वाले वित्तीय लेनदारों की संख्या भी बढ़ रही है (सारणी IV.2)।

IV.26 आईबीबीआई ने 31 मार्च 2017 को आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 को अधिसूचित

सारणी IV.1: कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत लेनदेन

तिमाही	तिमाही की शुरुआत में समाधान की प्रक्रिया में शामिल कॉर्पोरेट्स की संख्या	स्वीकार किए गए	द्वारा निपटान			तिमाही के अंत में समाधान की प्रक्रिया में शामिल कॉर्पोरेट्स की संख्या
			अपील/समीक्षा	समाधान योजना का अनुमोदन	परिसमापन का आरंभ	
जनवरी-मार्च, 2017	0	37	1	-	-	36
अप्रैल-जून, 2017	36	125	10	-	-	151
जुलाई-सितंबर, 2017	151	214	3	2	7	353

स्रोत: भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, जुलाई-सितंबर 2017 के लिए त्रैमासिक समाचार - पत्रका

किया ताकि कॉर्पोरेट स्वेच्छा से परिसमापन करने में सक्षम हो सके यदि उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है या फिर वह परिसमापन के तहत बेची जाने वाली आस्तियों की आय से पूरी तरह से अपने कर्ज का भुगतान करने में सक्षम हो। इन विनियमों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट स्वेच्छक परिसमापन के लिए इस मार्ग को चुनने की राह भी तलाश रहे हैं।

IV.27 आईबीसी की सफलता प्रशिक्षित दिवाला वृत्तिकों के सहयोगी वातावरण के विकास पर निर्भर करती है। उत्तरी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे सर्वाधिक पंजीकरण के साथ, प्रशिक्षित दिवाला वृत्तिकों के पंजीकरण की गति हाल की अवधि में बढ़ी है (सारणी IV.3)।

IV.28 विभिन्न मापदंडों के तहत हुई प्रगति के अलावा, रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों से भी समाधान प्रक्रिया को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त 2017 को साख सूचना कंपनी (सीआईसी) विनियमन, 2006 में संशोधन किया, ताकि समाधान वृत्तिकों को कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित सीआईसी के पास उपलब्ध शास संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके। संशोधित विनियमों के

तहत इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को भी विनिर्दिष्ट प्रयोगकर्ता के रूप में सूचना प्राप्त करने की अनुमति होती है।

IV.29 दिनांक 14 अगस्त 2017 को सेबी ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011 में संशोधन किया, ताकि संहिता (दिवाला और शोधन अक्षमता) के तहत अनुमोदित समाधान योजनाओं के अनुपालन में अधिग्रहण से संबंधित खुले प्रस्ताव की बाध्यताओं से छूट दी जा सके। सेबी ने उक्त तारीख को ही सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम 2009 में भी संशोधन किया ताकि संहिता के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अंतर्गत जारी किए गए अधिमानी इक्विटी शेयरों को मूल्यन और प्रकटीकरण जैसे अधिमानी निर्गमन मानदंडों से संबंधित शर्तों में छूट प्रदान की जा सके।

IV.30 आईबीसी के अधिनियमन के बाद, रिजर्व बैंक को आईबीसी प्रावधानों के तहत किसी चूक के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी भी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने हेतु सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 को संशोधित⁴ किया गया। यह दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में निर्देश जारी करने और ऐसे सदस्यों वाले एक या एक से अधिक प्राधिकरणों या समितियों को निर्दिष्ट करने के लिए भी रिजर्व बैंक को सक्षम बनाता है, जहां रिजर्व बैंक दबाव-ग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित बैंकिंग कंपनियों को सलाह देने के लिए सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है या नियुक्ति की मंजूरी दे सकता है।

IV.31 बैंकिंग विनियम (संशोधन) अधिनियम लागू किए जाने के बाद, रिजर्व बैंक ने बड़े मूल्य वाले दबावग्रस्त खातों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई कदम उठाए

सारणी IV.2: कॉर्पोरेट दिवाला लेनदेन की शुरुआत

तिमाही	द्वारा आरंभ			कुल
	वित्तीय ऋणदाताओं	परिचालन ऋणदाता	कॉर्पोरेट कर्जदार	
जनवरी-मार्च, 2017	9	7	21	37
अप्रैल-जून, 2017	31	59	35	125
जुलाई-सितंबर, 2017	82	101	31	214

स्रोत: भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, जुलाई-सितंबर 2017 के लिए त्रैमासिक समाचार - पत्रका

⁴ बैंकिंग विनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (अध्यादेश) द्वारा, जिसे बाद में बैंकिंग विनियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 के रूप में अधिनियमित किया गया

**सारणी IV.3: दिवाला वृत्तिकों के पंजीकरण में प्रगति
(30 सितंबर 2017 तक)**

शहर/क्षेत्र	के साथ नामांकित			कुल
	आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान	आईसीएसआई दिवाला वृत्तिक एजेंसी	इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की दिवाला वृत्तिक एजेंसी	
दिल्ली	131	103	29	263
शेष उत्तरी क्षेत्र	101	67	16	184
मुंबई	133	53	16	202
शेष पश्चिमी क्षेत्र	81	44	7	132
चेन्नई	28	27	3	58
शेष दक्षिणी क्षेत्र	67	57	16	140
कोलकाता	72	15	6	93
शेष पूर्वी क्षेत्र	26	5	4	35
संपूर्ण भारत	639	371	97	1107

आईसीएआई: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीएसआई: भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
स्रोत: भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, जुलाई-सितंबर 2017 के लिए त्रैमासिक समाचार - पत्रक।

हैं। पांच सदस्यों की विस्तारित संख्या के साथ रिजर्व बैंक के तत्वावधान में निगरानी समिति (ओसी) का पुनर्गठन किया गया था। कुछ अंतर्निहित एजेंसी और प्रोत्साहन विफलताओं से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में आपदाग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए ढांचा को मजबूत किया गया था, जो निम्नलिखित हैं :

- लेनदारों के संयुक्त फोरम (जेएलएफ) में निर्णय लेना सुगम बनाने के दृष्टिकोण से किसी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए अपेक्षित सहमति को पूर्व के 75 प्रतिशत के बजाय मूल्य से 60 प्रतिशत तक बदल दिया गया;
- अल्पमत बैंकों को जेएलएफ द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन नियमों का अनुपालन करते हुए फोरम बाहर हो जाना या जेएलएफ के निर्णय का पालन करना होगा;
- इसमें शामिल बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के जेएलएफ के फैसले को लागू करना अनिवार्य किया गया है; तथा

- बैंकों के बोर्डों को अपने कार्यपालकों को उन्हें बिना किसी और संदर्भ के जेएलएफ निर्णयों को लागू करने के लिए सशक्त बनाने की सलाह दी गई थी, इसके गैर-अनुपालन पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकेगी।

IV.32 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक परामर्शदात्री समिति (आईएसी) ने आईबीसी के तहत समाधान के लिए दबावग्रस्त बड़े खातों में से कुछ का उल्लेख करने के लिए निष्पक्ष, गैर-विवेकाधीन ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया। आईएसी की सिफारिशों के आधार पर 13 जून 2017 को रिजर्व बैंक ने आईबीसी, 2016 के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ बैंकों को निधि और गैर-निधि आधारित ₹ 50 बिलियन से ज्यादा की बकाया राशि वाले उन खातों के बारे में सूचित करने हेतु निर्देश जारी किया, जिनमें 31 मार्च 2016 तक 60 प्रतिशत या अधिक खाते अनर्जक हो गए थे। अन्य अनर्जक खातों के संबंध में, जो आईबीसी के तहत तत्काल संदर्भ के लिए उपरोक्त मानदंडों के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, बैंक छह माह के भीतर एक समाधान योजना को अंतिम रूप दें। उन मामलों में जहां छह महीने के भीतर एक व्यवहार्य समाधान योजना पर सहमति नहीं बनी है, बैंकों को आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाही हेतु आवेदन करना चाहिए।

III. बैंकों का पुनर्पूजीकरण

IV.33 बैंकों के तुलन-पत्र को दुरुस्त करने और दबाव की अवधि सहित ऋण विस्तार करने की उनकी अंतर्निहित क्षमता के अनुरूप बढ़ाने के लिए बैंकों का पुनर्पूजीकरण दुनिया भर में सोची-समझी नीतिगत प्रतिक्रिया रही है। सरकारों ने इक्विटी खरीद, गौण ऋण या नगदी या बॉण्ड के एकतरफा अंतर्वेशन (परक्राम्य अथवा अपरक्राम्य) का कार्य किया गया है। यदि आस्ति मूल्य और कॉर्पोरेट आय अस्थायी रूप से कम हो, लेकिन ऋण वृद्धि में तेजी आती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो यह ठीक हो जाएगी और, तब संभवतः व्यवहार्य बैंकों के लिए सरकारी पूंजी अंतर्वेशन के माध्यम से सहायता (अस्थायी) खराब तुलन-पत्र को ठीक करने के लिए जीवन रेखा प्रदान करती है।

देशगत प्रथाओं का स्नैपशॉट

IV.34 देशों ने अपने बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्पूजीकरण के लिए दबावपूर्ण आस्तियों से संबंधित स्टॉक की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियां तैयार किया है।

IV.35 वर्ष 1995-96 में, मैक्सिको में बैंक पुनर्चना एजेंसी एफओबीएपीआरओए (फोन्डो बेन्कोरियो द प्रोतेक्शियोन अवोरो; अर्थात् "बचत की सुरक्षा हेतु बैंकिंग निधि) द्वारा बैंकों की डूबंत आस्तियां खरीदने के लिए 10-वर्षीय परिपक्वता वाले गैर-व्यापार योग्य बॉण्ड, जिनकी खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती थी, जारी किए गए थे। बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से प्राप्त आय का उपयोग एफओबीएपीआरओए पेपर के मोचन के लिए किया जाता था। परिपक्वता के समय, बैंक बकाया एफओबीएपीआरओए पेपर्स में से 20-30 प्रतिशत को बट्टे खाते डालते थे। शेष राशि को सरकार कवर करती थी। कोरिया में, बैंकों की डूबंत आस्तियों और इक्विटियों⁵ की खरीद हेतु कोरियाई आस्ति प्रबंधन कंपनी (केएएमसीओ) ने 1998-99 में खरीद-बिक्री योग्य बॉण्ड जारी किया।

IV.36 वर्ष 1998-99 के दौरान, मलेशिया में बैंकों की डूबंत आस्तियों की खरीद करने और अर्थव्यवस्था को एशियाई वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली दनहर्ता नामक आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) द्वारा बाजार आधारित प्रतिफल वाले जीरो कूपन बॉण्ड जारी किए गए थे। इसके अलावा, बैंक नेगारा मलेशिया (बीएनएम) के धनामोडल नामक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की स्थापना 1998 में की गई। इसका उद्देश्य बैंकों की पुनर्पूजीकरण आवश्यकताओं का आकलन करना, पुनर्पूजीकरण की कार्रवाई करना, प्रभावित संस्थानों की पुनर्चना करना और कार्यनिष्पादन की निगरानी करना था। बैंक नेगारा मलेशिया ने आरएम 1.5 बिलियन की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई। धनमोडा ने संस्थानों द्वारा उनकी अनर्जक आस्तियों की बिक्री किए जाने के बाद बैंकिंग संस्थानों में पूंजी का अंतर्वेशन किया, किंतु इस तरह से पूंजी सिर्फ व्यवहार्य बैंकिंग संस्थानों को ही प्रदान की गई, जिनका आधार वित्तीय सलाहकारों के मूल्यांकन और सावधानीपूर्वक की गई जांच थे। पूंजी का अंतर्वेशन इक्विटी या हाइब्रिड लिखतों के रूप में किया गया था।

IV.37 थाईलैंड में, बैंक इक्विटी की खरीद हेतु सरकार ने 1999-2000 में पुनर्पूजीकरण बॉण्ड जारी किया। इन बॉण्डों की

खरीद-बिक्री की जा सकती थी। बैंक ऋणपत्र खरीदने के लिए खरीद-बिक्री नहीं किए जा सकने योग्य पुनर्पूजीकरण बॉण्ड भी जारी किए गए। दोनों प्रकार के बॉण्ड 10-वर्षीय परिपक्वता अवधि वाले थे, जिनकी बाजार सम्बद्ध स्थायी ब्याज दर रखी गई थी।

IV.38 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, बहुत से विकसित देशों ने विस्तृत राहत पैकेजों की घोषण की, जिनके अंतर्गत पुनर्पूजीकरणों, कर्ज प्रतिभूतियों तथा आस्ति खरीद के कुछ संयोगों का प्रयोग किया गया। नीदरलैंड्स में पूंजी के अंतर्वेशन का परिमाण 2008 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 5.1 प्रतिशत, यूके में (3.4 प्रतिशत), अमेरिका में (2.1 प्रतिशत), फ्रांस में (1.4 प्रतिशत) तथा जापान में (0.1 प्रतिशत) रहा। पुनर्पूजीकरण योजना की विशेषताओं के संदर्भ में विभिन्न देशों की कार्यप्रणाली में व्यापक अंतर देखा गया (सारणी IV.4)।

भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों का पुनर्पूजीकरण : प्रारंभिक अवस्था

IV.39 वर्ष 1993-94 के दौरान, विवेकपूर्ण लेखांकन मानकों एवं पूंजी पर्याप्तता मानकों के पहले चरण को लागू किए जाने से भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजीगत स्थिति को मजबूती प्रदान करना आवश्यक हो गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्पूजीकरण हेतु इक्विटी के रूप में ₹57 बिलियन का योगदान किया और राष्ट्रीयकृत बैंक पुनर्पूजीकरण बॉण्ड 2006 में से 10 प्रतिशत बॉण्ड 1 जनवरी 1994 को जारी किए। सहायता प्राप्त करने वाले बैंकों के लिए सरकार की अभिदत्त पूंजी को इन बॉण्डों में निवेश करना जरूरी होगा। इस प्रकार से उगाही गई नगदी का प्रयोग सरकार द्वारा संकटग्रस्त बैंकों के लिए नई इक्विटी उपलब्ध कराने में किया गया।

IV.40 इन बॉण्डों की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित थीं – (i) उनकी ब्याज दर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, जिसका भुगतान अर्द्ध-वार्षिक अंतरालों किया जाना था; (ii) 1 जनवरी 2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से प्रारंभ करते हुए उसके बाद के वर्षों में छह समान वार्षिक किस्तों में जनवरी की पहली तारीख को देय थीं; (iii) वे हस्तांतरणीय थीं; (iv) वे आस्तियां सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) हेतु मंजूरी प्राप्त प्रतिभूति नहीं थीं; एवं (v) बॉण्डों को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र प्रतिभूति माना जाता था। 2006-07 के दौरान इन बॉण्डों को भारत सरकार की दिनांकित, एसएलआर हेतु पात्र, खरीद-बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में रूपांतरित किया गया।

⁵ एण्ड्रयुज, माइकल (2003), "इसुइंग गवर्नमेंट बॉण्ड्स टु फाइनेंस बैंक रिडेपिटलाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग: डिजाइन फ़ैक्टर्स दैट अफेक्ट बैंक्स फिनेंसियल परफॉर्मेंस", आईएमएफ पॉलिसी डिस्कशन पेपर, पीडीपी/03/4, इंटरनेशनल मोनेटरी फंड।

सारणी IV.4 : पुनःपूजीकरण : उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव

देश	प्रथम घोषणा	अधिकतम राशि	लिखत	लिखतों का मूल्यन (मुख्य अवयव)
फ्रांस	अक्टूबर 13, 2008	€ 40 बिलियन	संकट ग्रस्त बैंकों के लिए अधिमानी शेयर, गौण शेयर एवं साझा/साधारण शेयर	गौण कर्ज के लिए : प्रथम पांच वर्षों के लिए स्थायी दर, उसके बाद परिवर्तनशील बाजार- संगत क्षतिपूर्ति
जर्मनी	अक्टूबर 13, 2008	€ 80 बिलियन	कोई भी उचित माध्यम	-
इटली	अक्टूबर 8, 2008	-	अधिमानी शेयर	-
इटली	नवंबर 28, 2008	-	गैर-दिनांकित/चिरकालिक गौण कर्ज/ऋण	तीनों में से सर्वोच्च विकल्प, जिसका शुल्क समय के दौरान बढ़ता है।
जापान	दिसंबर 17, 2008	¥ 12 ट्रिलियन	अधिमानी शेयर	-
जापान	मार्च 17, 2009	¥ 1 ट्रिलियन	अधिमानी कर्ज/गैर-दिनांकित/चिरकालिक गौण कर्ज/ऋण	प्रत्येक नीलामी में केंद्रीय बैंक द्वारा न्यूनतम स्प्रेड तय किया जाएगा।
नीदरलैंड्स	अक्टूबर 9, 2008	€ 20 बिलियन	कोई भी उचित माध्यम	8.5 प्रतिशत कूपन, जो लाभांश भुगतान से संबंधित शर्तों के अधीन है।
स्पेन	अक्टूबर 13, 2008	-	साझा/साधारण शेयर, अधिमानी शेयर और/या गैर-मतदान शेयर	-
यूनाइटेड किंगडम	अक्टूबर 8, 2008	£ 50 बिलियन	साझा/साधारण शेयर, अधिमानी शेयर	साझा/साधारण शेयर के लिए : अंतिम मूल्य में 8.5 प्रतिशत छूट।
यूएस	अक्टूबर 13, 2008	\$ 250 बिलियन	अधिमानी शेयर, वारंट्स	अधिमानी शेयर : पांच वर्षों के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक लाभांश, उसके बाद 9 प्रतिशत।
यूएस	फरवरी 10, 2009	-	अनिवार्य परिवर्तन योग्य अधिमानी (एमसीपी) शेयर (7 वर्ष बाद परिवर्तित होते हैं), वारंट्स	एमसीपी शेयर : वार्षिक लाभांश 9 प्रतिशत की दर से, जो तिमाही आधार पर अदा किया जाता है।

- : उपलब्ध नहीं


स्रोत : फेबियो पनेट्टा, थॉमस फेह, जिसेप्पे ग्रांडे, कोरिन्ना हो, माइकल किंग, अद्विराम लेवी, फेडेरिको सिम्नोरेट्टी, मार्को तबोगा एवं एंड्रिआ जाघिनि (2009), "वित्तीय क्षेत्र के बचाव कार्यक्रम का मूल्यांकन", बीआईएस पेपर्स सं 48, जुलाई।

IV.41 राष्ट्रीयकृत बैंकों का पुनर्पूजीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि मार्च 1993 की समाप्ति तक सभी बैंक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के न्यूनतम 4 प्रतिशत के अनुपात के स्तर को प्राप्त कर सकें और साथ ही अपनी पूंजी को अक्षत बनाए रख सकें। राजकोषीय समायोजन और बैंक पूंजी की मजबूत के बीच संतुलन कायम करने के लिए बैंकों को अनंत अवधि वाले बॉन्डों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई, ताकि समय के दौरान बैंक ब्याज से होने वाली आय के अलावा नियमित रूप से मूलधन के रूप में भी आय प्राप्त कर सकें।

IV.42 सरकार द्वारा पूंजी दिया जाना सरकारी क्षेत्र के प्रतिभागी बैंक द्वारा विशिष्ट कार्यनिष्पादन बाध्यताओं के प्रति वचनबद्धता और परिचालनात्मक नीतियों और सांगठनिक ढांचे में परिवर्तन लाने तथा व्यवहार्यता एवं लाभप्रदता में सुधार लाना सुनिश्चित करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने जैसे मानकों के संबंध में प्रतिबद्धता के अधीन था। इसके अलावा, बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बनाने और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने में दक्षता के उच्च स्तर को बनाए रखने की योजना तैयार करना अपेक्षित था, ताकि ₹10 मिलियन से अधिक की सभी अनर्जक

आस्तियों की चुकौती एवं अतिरिक्त प्रतिभूतियों के प्रलेखीकरण; देयता/निवेश प्रबंधन तथा ऋण नीतियां तैयार करने के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार कर सकें। वर्ष 1992-93 से 1998-99 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डाली गई कुल पूंजी ₹204 बिलियन मूल्य की रही।

IV.43 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वैश्विक वित्तीय संकट की उथल-पुथल से व्यापक रूप से निरापद रूप से बच पाया क्योंकि हानिकारक आस्तियों में सीमित एक्सपोजर था और संकट पूर्व की अवधि के दौरान ऋण की तीव्र वृद्धि की प्रतिक्रिया स्वरूप अग्रसक्रिय विनियामकीय उपाय किए गए थे। हालांकि, बैंकों द्वारा टियर-1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 8 प्रतिशत से अधिक बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने 2007-08 के आगे से पूंजी संचार कार्यक्रम प्रारंभ किया था। वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान पीएसबी में ₹131 बिलियन की संचयी राशि का अंतर्वेशन किया गया। सरकार द्वारा पूंजी संचार किया जाना बाद के वर्षों में भी जारी रहा, जिसके अंतर्गत इसे बैंक के कार्यनिष्पादन से जोड़ने का प्रयास किया गया। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹666 बिलियन की कुल राशि का अंतर्वेशन पीएसबी में किया गया (चार्ट IV.1)।



सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण: हाल में किए गए उपाय

IV.44 अगस्त 2015 की इंद्रधनुष योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान पीएसबी की पूंजी संबंधी जरूरतों के ₹1.8 ट्रिलियन रहने का अनुमान लगाया था, जिसमें से ₹700 बिलियन की राशि बजट आबंटन का हिस्सा थी और शेष 1.1 ट्रिलियन की राशि इन बैंकों द्वारा अपनी गैर-प्रमुख आस्तियों के बाजार में विनिहितीकरण (डाइवेस्टिंग) के माध्यम से जुटाई जानी थी। इंद्रधनुष योजना के तहत सरकार ने अभी तक पीएसबी में ₹519 बिलियन राशि का निवेश किया है। बैंकों में पूंजी संचार के लिए जिन मानदंडों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं – संबंधित बैंकों की पूंजी संबंधी आवश्यकता; बैंकों का आकार; दक्षता के संदर्भ में बैंकों का कार्यनिष्पादन; ऋणों एवं जमाराशियों की वृद्धि; परिचालनों की लागत में कमी; एवं वृद्धि की अंतर्निहित क्षमता। इनके अलावा, पीएसबी अब तक (24 अक्टूबर 2017 तक) बाजार से ₹213 बिलियन की राशि जुटाने में सफल रहे हैं।

IV.45 अक्टूबर 2017 में, सरकार ने अनर्जक आस्तियों के उच्च स्तरों से जूझ रहे पीएसबी को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े-पैमाने पर, ₹2.11 ट्रिलियन राशि की बैंक पुनर्पूँजीकरण योजना की घोषणा की। ₹2.11 ट्रिलियन में से 1.35 ट्रिलियन की राशि

पुनर्पूँजीकरण बॉन्डों के माध्यम से जुटाई जाएगी और शेष ₹760 बिलियन की राशि बजटीय सहयोग (लगभग ₹180 बिलियन) के माध्यम से तथा बाजार से संसाधन जुटाए जाने के माध्यम से (₹580 बिलियन) उपलब्ध कराई जाएगी। पुनर्पूँजीकरण, 2017-18 की शेष अवधि में तथा 2018-19 में किया जाएगा, किंतु सरकार का अभिप्राय इस कार्यक्रम को शुरुआत में ही पूरा करने का (फ्रंटलोड) है।

IV.46 प्रस्तावित पुनर्पूँजीकरण पैकेज में बहुत सी वांछित विशेषताओं को शामिल किया गया है। पुनर्पूँजीकरण बॉन्डों के अविनियोजन द्वारा – पूंजी का अंतर्वेशन प्रारंभ में ही किया जाएगा, जबकि समय के साथ-साथ पड़ने वाले सह-संबद्ध राजकोषीय प्रभावों को यह कमजोर कर देगा। इस प्रकार से, सरकार के लिए पुनर्पूँजीकरण बॉन्ड ब्याज पर होने वाले खर्च को छोड़कर, जो वार्षिक राजकोषीय घाटे में योगदान करेंगे, चलनिधि निरपेक्ष होंगे। इसके अंतर्गत पीएसबी के निजी शेयरधारकों की सहभागिता भी शामिल होगी जिसकी अपेक्षा यह होगी कि उनकी पूंजीगत जरूरतों का एक हिस्सा बाजार निधीयन के माध्यम से पूरा किया जाए। इसके अलावा, यह ऐसे सुविचारित उपागम की स्थापना करेगा जिसके द्वारा यह प्रावधान किया जाएगा कि जिन बैंकों ने अपने तुलन-पत्र संबंधी मामलों को सुलझा लिया हो और वे तत्काल ऋण सृजन के लिए नए पूंजी संचार का उपयोग करने की स्थिति में हों, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है, जबकि अन्य बैंक भी इस तरह की स्थिति निर्मित करें। ऐसा किए जाने से सार्वजनिक पुनर्पूँजीकरण कार्यक्रम⁶ में बाजार अनुशासन लागू होने की संभावना है।

IV. निष्कर्ष

IV.47 भारत में बैंक प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ हैं। आस्ति दबाव से ऋण वृद्धि पर ऐसे समय में विपरीत असर पड़ा, जबकि आर्थिक गतिविधियों की गति को त्वरित किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में उभर कर सामने आई है। आईबीसी 2016 एवं बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के रूप में द्विमुखीय उपागम से बैंकों के तुलन-पत्रों के परिमार्जन (बैलेंस शीट क्लीनिंग) की गति तीव्र होने की संभावना है। बैंकों के कार्यनिष्पादन को पुनर्पूँजीकरण के माध्यम से अंतर्वेशित निधियों की राशि को जोड़कर देखे जाने से अनुशासन कायम होने तथा सहनशीलता और दबाव की पुनरावृत्ति के हतोत्साहित होने की संभावना है।

⁶ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, उर्जित आर. पटेल (2017) का 25 अक्टूबर 2017 का वक्तव्य "भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक पुनर्पूँजीकरण का स्वागत करता है"। इसे 11 नवंबर 2017 को https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42055 से लिया गया।